संख्या:362/2022/1353/35-4-2022/001-35-4099/156/2021

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 04 नवम्बर,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-अयोध्या में शासनादेश संख्या-224/2021/1929/35-4-2021, दिनांक 15 नवम्बर, 2021 द्वारा शहरी क्षेत्र की सड़कों से संबंधित 60 कार्यों की लागत रू. 4786.60 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रू. 940.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा पत्रांक: 490/त्व0आ0वि0यो0/2021-22, दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 द्वारा उक्त सन्दर्भित शासनादेश से स्वीकृत 60 कार्यों में से 40 कार्यों की अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने की मांग की गयी है। स्वीकृत 40 कार्यों की अनुमोदित लागत रू0 2788.42 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 615.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। 40 कार्यों हेतु प्रथम किश्त में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपयोग किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा निम्नलिखित 40 कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 2173.42 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ तिहत्तर लाख बयालिस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	रानोपाली में विवेक दत्त के मकान से विरेन्द्र कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	33.26	15.00	18.26
2.	मक्खापुर मे वेद प्रकाश गुप्ता के मकान से राजाराम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	34.67	15.00	19.67
3.	मिर्जापुर माफी में पंचायत घर से छेदीलाल रावत के मकान तक हॉटमिक्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	96.49	15.00	81.49
4.	शाहजंहापुर में भोलाशंकर शुक्ला के मकान से रावेन्द्र कुमार के मकान होते हुए विपिन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	32.84	15.00	17.84
5.	शाहजंहापुर में देवेन्द्र सिंह के मकान से शहजंहापुर रेलवे क्रासिंग तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	30.22	15.00	15.22
6.	शहनवां में अन्सार अहमद बब्बन (ग्राम प्रधान) के मकान से के0के0 यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	36.08	15.00	21.08
7.	आशापुर में दुर्गा जनरल स्टोर से कृष्णा वाटिका तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	30.36	15.00	15.36
8.	आशापुर में रामगुलाम के मकान से श्याम मोहन वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	49.24	15.00	34.24
9.	रानोपाली में छात्रावास से आशुतोष कुमार पाण्डेय के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	39.48	15.00	24.48
10.	शहनवां में औलाद हैदर के मकान से अर्जुन के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	36.31	15.00	21.31

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
11.	मक्खापुर में ग्राम पंचायत सचिवालय से लोकेश कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	57.63	15.00	42.63
12.	शाहजंहापुर में आर0 के0 शर्मा के मकान से इन्द्रदेव सिंह के मकान होते हुए बाबू के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	28.86	15.00	13.86
13.	आशापुर में बेचू के मकान से हनुमान प्रसाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	45.98	15.00	30.98
14.	शहनवां में शिफा मेडिकल सेन्टर से सियाराम के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	59.22	15.00	44.22
15.	मिर्जापुर माफी में साहू डिजिटल स्टूडियों की दुकान से गोविन्द कुमार के दुकान तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	52.11	15.00	37.11
16.	आदित्य नगर मझवा गद्दोपुर में देवनरायण सिंह के मकान से घनश्याम गुप्ता के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	44.07	15.00	29.07
17.	दर्शन नगर बाजार में हनुमान मंदिर के सामने से गुड्डू के मकान से सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.69	15.00	4.69
18.	दर्शन नगर बाजार में लक्ष्मण शर्मा के मकान से समाजोस्थान स्कूल तक एवं गनेश शर्मा के मकान से विनोद कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	46.11	15.00	31.11
19.	कुशमाहा में श्री अरविन्द कुमार (कोटेदार) के मकान से श्रीनाथ के मकान तक एवं संलगन गलियों में रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	43.42	15.00	28.42
20.	शहनवां में मो0 शहीद अन्सारी के मकान से मो0 चाँद के मकान तक एवं संलग्न गलियों में सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	29.48	15.00	14.48
21.	शाहजहाँपुर में श्री रवीन्द्र के मकान से श्री विपिन के मकान तक एवं संलग्न गलियों में रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	45.95	15.00	30.95
22.	मिर्जापुर शमशद्दीनपुर में मिर्जापुर मुख्य मार्ग से श्री उमेश तिवारी के मकान तक एवं संलग्न गलियों में सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	39.30	15.00	24.30
23.	कुशमाहा में श्री ओमकार सिंह के मकान से श्री ननकऊ कनौजिया के मकान तक एवं श्री गयाराम यादव के मकान से मुख्य मार्ग तक एवं संलगन गलियों में सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	53.61	15.00	38.61
24.	ग्राम हैबतुपर में दशरथ कुण्ड परिक्रमा मार्ग से श्री विनोद के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	40.88	15.00	25.88
25.	ग्राम भीखापुर में सिद्धार्थ पुरम कालोनी में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से श्री सोनी के मकान होते हुए श्री शिवकुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	18.73	15.00	3.73
26.	ग्राम बनवारी का पुरवा में श्री बुधिसागर के मकान से बनवारी का पुरवा चौराहा होते हुए स्व0 श्यामलाल के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	34.07	15.00	19.07

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
27.	ग्राम आशिफबाग में रघुकुल रेस्टोरेन्ट से पूर्व माध्यमिक विद्यालय शहनेवाजपुर से चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	71.38	15.00	56.38
28.	परिक्रमा मार्ग पर स्थित महार्षि आश्रम से मदरहिया होते हुए बाईपास प्राइमरी पाठशाला बनवारी का पुरवा तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	170.48	17.00	153.48
29.	अब्बू सराय बाईपास (जितेन्द्र बिल्डिंग मटेरियल) से हीरालाल यादव के मकान से होते हुए रेलवे क्रासिंग तक हॉटमिक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	125.31	15.00	110.31
30.	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से बनवीर पुर रेलवे क्रासिंग तक हॉटमिक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	73.08	15.00	58.08
31.	रायबरेली रोड पर (उसरू) नीलकण्ड मेडिकल स्टोर से आनन्द ति वारी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	46.87	15.00	31.87
32.	बनवीरपुर में बनवीरपुर शारदा सहायक नहर होते हुए श्री जगदीश के मकान तक हॉटमिक्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	88.49	15.00	73.49
33.	रायबरेली रोड से मऊ यदुवंशपुर सम्पर्क मार्ग पर हॉटमिक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	80.36	15.00	65.36
34.	मलिकपुर में काली मंदिर से आटा चक्की होते हुए सी0आर0पी0एफ0 कैम्प तक हॉटमिक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	179.83	18.00	161.83
35.	मलिकपुर में बड़े नहर की पुलिया से हैण्डपम्प तक हॉटमिक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	160.80	16.00	144.80
36.	कादीपुर में कादीपुर चौराहे से बड़े नहर की पुलिया तक हॉटमिक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	155.45	16.00	139.45
37.	गोपालपुर में मुख्य मार्ग से मथुरा प्रसाद के घर तक हॉटमिक्स सड़क व नाली निम्ारण कार्य।	182.00	18.00	164.00
38.	पूरे हुसैन खान में श्री अशगर की दुकान से श्री संजय के मकान तक हॉटमिक्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	180.67	18.00	162.67
39.	रानोपाली के मजरा पटवारी का पुरवा के अन्तर्गत मंगलपुरम कालोनी में सुनील कुमार वर्मा के मकान से विनोद सिंह के मकान तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	29.38	15.00	14.38
40.	रानोपाली में वैष्णवी नसिंग होम वाई पास से मोहबरा बजार तक एवं सम्बन्धित गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	166.26	17.00	149.26
	योग:	**2788.42**	**615.00**	**2173.42**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 15 नवम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 21,73,42,000 (रूपये इक्कीस करोड़ तिहत्तर लाख बयालिस हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370304 शहरी क्षेत्रों में सड़कों चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:362/2022/1353(1)/35-4-2022/001-35-4099/156/2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
9- मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अयोध्या।
13- अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, अयोध्या।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in